महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Shikshk Sangh Wardha

पंजीयन संख्या : एनजीपी 5487/2017

शिक्षक संघ चुनाव समिति 2023

पत्रांक : म.गा.अं.हिं.वि.वि.शि.सं.चुनाव 2023/चु.स./10 दिनांक :12.10.2023

म.गां.अं.हिं.विवि. शिक्षक संघ चुनाव 2023 हेतु आचार संहिता एवं अन्य आवश्यक नियमों/सूचनाओं की घोषणा

(चुनाव आचार संहिता अवधि – 12 अक्टूबर 2023 से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक)

आचार संहिता : -

1. जाति, धर्म एवं क्षेत्र के आधार पर वोट नहीं माँगा जाएगा।
2. वाद-विवाद या झगड़े की परिस्थिति उत्पन्न करना घोर अनुशासनहीनता मानी जाएगी ।
3. चुनाव प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा।
4. पोस्टर, पम्पलेट, भद्दे प्रचार वर्जित रहेंगे।
5. विश्वविद्यालय की दीवारों एवं अन्य स्थानों पर पोस्टर, लेख इत्यादि के रूप में प्रचार वर्जित होगा।
6. चुनाव के दिन कोई प्रचार नहीं करेगा। अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो चुनाव समिति छानबीन करने के उपरांत संबंधित/कथित को चुनाव से वंचित कर सकती है।

नामांकन हेतु आवेदन : 1) शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के विभिन्न पदों हेतु प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप **कक्ष संख्या 03**, मदन मोहन मालवीय भवन से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

2) सभी क्षेत्रीय केंद्र के प्रत्याशी ई-मेल tumgahvelect@gmail.com पर अनुरोध पत्र प्रेषित कर, प्रत्याशी नामांकन आवेदन ई-मेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तथा अपने प्रत्याशी आवेदन पत्र को स्कैन कर इसी मेल पर निर्धारित समय से पूर्व भेजें।

प्रत्याशी की चुनाव अर्हता : - जो शिक्षक पिछले दो वर्षों से शिक्षक संघ का स्थाई सदस्य हो और आम सभा की कम से कम दो बैठकों में उपस्थित रहा हो।

विशिष्ट नियम : -

1. एक सदस्य एक ही पद के लिए नामांकन कर सकता है।
2. नामांकन पत्र के साथ सुरक्षा राशि रु. 500/- प्रत्याशी को जमा करानी होगी तथा न्यूनतम अर्ह मत न प्राप्त होने की स्थिति में जमा राशि जब्त होगी। (न्यूनतम अर्ह मतों की संख्या 07)

अन्य सूचना : -

मतदान के दिन (मतदान की समयावधि में) अपने मुख्यालय/कार्यस्थल से बाहर होने के स्थिति में मतदाता अपना मत ई-मेल आइडी tumgahvelect@gmail.com पर प्रेषित कर सकता है।

समान मत मिलने की स्थिति में निर्णय : -

अगर एक पद पर प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होते हैं, तो इस पद के लिए फिर से चुनाव होगा।

शिक्षक संघ संविधान चुनाव भाग 2 (IX) के अनुसार चुनाव समिति के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। संदर्भ के लिए शिक्षक संघ संविधान संलग्न है।

12/10/2023

(डॉ. रविन्द्र तु. बोरकर)

अध्यक्ष, चुनाव समिति

प्रतिलिपि : सूचनार्थ

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय

प्रत्यक्ष प्राप्त करे।

क्रमांक नमूना

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ वर्धा

(पंजीयन संख्या एनपीजी 5487/2017)

प्रत्याशी नामांकन हेतु आवेदन पत्र

1. पद (जिस पर नामांकन किया जा रहा है) ....

2. नाम : ....

3. पदनाम : ....

4. विभाग (जिस विभाग में कार्यरत हैं) : ....

5. विश्वविद्यालय में नियुक्ति की तिथि : ....

6. हस्ताक्षर: ....

 दिनांक :..

 समय : ....

7. प्रस्तावक (1)

 नाम : ....

 पद : ....

 हस्ताक्षर : ....

प्रस्तावक (2)

 नाम : ....

 पद : ....

 हस्ताक्षर : ....

8. चुनाव समिति अध्यक्ष हस्ताक्षर: ....

 दिनांक: ....

 समय: ....

 (जिस समय प्राप्त हुआ)

मैं.. घोषित करता/करती हूँ कि मैं चुनाव आचार संहिता का पालन करूँगा/करूँगी/अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है तो चुनाव समिति मंडल हमें चुनाव से बाहर रखने/मतदान प्रक्रिया से बाहर करने के लिए स्वतंत्र होगा। एतद्द्वारा मैं चुनाव समिति द्वारा घोषित नियमों के अनुपालन हेतु बाध्य हूँ।

नमूना

नमूना

नमूना

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

चुनाव आचार संहिता-

- जाति, धर्म एवं क्षेत्र के आधार पर वोट नहीं मागूंगा।
- वाद-विवाद या झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं करूंगा।
- चुनाव प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल नहीं करूंगा।
- पोस्टर, पम्पलेट, भद्दे प्रचार न करूँगा न जारी करूँगा।
- किसी को लोभ-लालच देने, धमकी देने आदि में संलिप्त नहीं रहूँगा/ रहूँगी

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ संविधान

1.नाम

संघ का नाम महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ होगा। यह संघ सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत संस्था होगी

2. सदस्यता

इस संघ की सदस्यता महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए खुली होगी। सदस्यता शुल्क 500 रुपये वार्षिक होगा।

3. उद्देश्य

संघ के उद्देश्य-

अकादमिक

1) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता एवं उनका प्रचार- प्रसार करना।

2) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम,उन्मुखीकरण, परिसंवादों,प्रकाशन, पुस्तकालयीन सुविधाओं एवं शोध के जरिये शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल का विकास करना।

3) शिक्षक संघ के स्थापना के जरिये विषय अध्यापन को बेहतर बनाना।

4) अकादमिक मसलों पर अध्ययन एवं संवाद को बढ़ावा देना।

5) शैक्षिक नीतियों को प्रभावित करने वाले उचित कानून बनाने का सुझाव देना, पहल करना एवं इसके लिए कार्य करना विशेष तौर पर शिक्षकों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में।

प्रशासनिक

6) नीति निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी के विशेष संदर्भ में विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक स्वरूप एवं कार्यप्रणाली को प्रोत्साहन देना।

7) व्यक्तिगत एवं सामूहिक तौर पर संघ के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक रूप से उचित स्थिति की सुरक्षा करना।

8) सदस्यों के व्यावसायिक हितों की रक्षा करना एवं कार्य व सुविधाओं की संतुष्टि परकस्थितियों को सुनिश्चित करना।

9) शिक्षकों के अधिकारों एवं स्वतन्त्रता की वकालत करना एवं उन्हेंबनाए रखना तथा शिक्षकों को अपने अकादमिक दायित्वों को पूरा करने में सहायता करना।

10) विश्वविद्यालय के शिक्षकों के सेवाओं को बेहतर स्थिति की ओर ले जाने के लिए जरूरी कदम उठाना।

11) शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा के प्रशासन में सहायता करना एवं उन्हे संगठित करना।

12) विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच सामाजिक सौहार्द बढ़ाना एवं उनके हितों के लिए रचनात्मक गतिविधियों का संचालन करना।

13) विश्वविद्यालय समुदाय के अन्य प्रभागों एवं शिक्षकों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध एवं सहयोग को बढ़ाना।

4. शक्तियाँ एवं कार्य –

1) संघ को यह अधिकार होगा कि वह इस संविधान के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी प्राधिकारी/ संस्था को अपने सारे अधिकार सौंप सकता है सिवाय संपत्ति हस्तांतरण के।

2) अपनी समुचित प्राधिकृत सत्ता के जरिये संघ को यह शक्ति होगी कि:

क) वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल /अचल संपत्ति का क्रय, विक्रय कर सके।

ख) ऊपर बताए गए उद्देश्यों या उनमें से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मौद्रिक या अन्य रूप से दान स्वीकार करना परंतु एसे किसी भी दान को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो अलगाव की गतिविधियों को प्रोत्साहित करता हो।

ग) ऐसे किसी भी कार्य का पहल करना या सहयोग करना जो संघ के उद्देश्यों की अभिवृद्धि हेतु अनुकूल हो। ऐसा कार्य संघ की कार्यकारी समिति के मत में उचित एवं स्वीकार्य होना चाहिए।

घ) संविधान में होने वाली किसी भी संशोधन की समीक्षा, अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान कसा।

5. संघ के प्राधिकारी–वर्ग /अधिकारीगण

1. संघ के सभी सदस्यों वाली साधारण सभा इस संघ की सर्वोच्च अधिकरण/ इकाई होगी।

2. संघ की साधारण सभा के द्वारा एक निर्वाचित कार्यकारिणी होगी जिससे निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे-

- एक अध्यक्ष
- एक उपाध्यक्ष
- एक महासचिव
- एक संयुक्त सचिव
- एक कोषाध्यक्ष
- चार कार्यकारी सदस्य

कुल सदस्य संख्या 9 होनी चाहिए।

(कार्यकारिणी की सहमति से इनमें से एक को प्रवक्ता का कार्यभार दिया जाएगा)

पदाधिकारी के नाम प्रतिरूप (स्त्री प्रतिरूप) विकसित किए जाने पर उनका उल्लेख संविधान में किया जाएगा॥

6. साधारण सभा

1) साधारण सभा की बैठक कभी भी आवश्यक होने पर हो सकती है लेकिन वार्षिक बैठक को छोड़ कर इसे एक सत्र में कम से कम एक बार करनी होगी। वार्षिक बैठक को छोड़ कर साधारण सभा का एजेंडा कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित होगा एवं महासचिव द्वारा बैठक के कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना सभी सदस्यों को दे दिया जाएगा॥

2) वार्षिक साधारण सभा बैठक कार्यकारी समिति द्वारा मानसून सत्र के अंत में निर्धारित दिनांक को होगी तथा कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित निम्न बातों को एजेंडा को विचार विमर्श के लिए रखा जाएगा॥

- महासचिव द्वारा तैयार की गई संघ की वार्षिक रिपोर्ट
- कोषाध्यक्ष द्वारा तैयार की गई संघ की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट के साथ
- आगामी वर्ष का बजट

3) कार्यकारी समिति एक दिन के अग्रिम नोटिस पर अगर वह उसे उचित समझे तो साधारण सभा की आपातकालीन बैठक बुला सकती है॥ इस बैठक के लिए कोरम साधारण सभा के ¼ भाग होगा॥

4) कार्यकारी समिति संघ के कम से कम ¼ सदस्यों के लिखित मांग के आधार पर साधारण सभा की बैठक बुला सकती है॥ यह बैठक मांग किए जाने की नोटिस प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर बुलाई जाएगी॥

5) यदि चयनित समिति लोकतांत्रिक रूप से काम न कर रही हो, निरंकुश तरीके से व्यवहार कर रही हो और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संघ की बैठक न बुला रही हो तो इस परिस्थिति में साधारण सभा के सदस्य आपात कालीन बैठक बुला सकते हैं।

7. कार्यकारी समिति

1) संघ के दैनंदिनी कार्यकारी समिति की ज़िम्मेदारी होगी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे –

- एक अध्यक्ष
- एक उपाध्यक्ष
- एक महासचिव
- एक संयुक्त सचिव
- एक कोषाध्यक्ष
- चार कार्यकारी सदस्य

2) कार्यकारी समिति की बैठक समान्यतः और आवश्यकता होने पर महासचिव द्वारा अध्यक्ष की सहमति से बुलाई जाएगी । कार्यकारी समिति के सदस्य इस समिति की बैठक मांग करके भी बुला सकते हैं, इसके लिए कार्यकारी समिति के 1/3 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव जरूरी है । इस तरह की बैठक अध्यक्ष को लिखित मांग मिलने के 5 दिनों के भीतर बुलानी होगी ।

3) इस संविधान के अनुसार तथा साधारण सभा के निर्देशों के अनुसार यह कार्यकारी समिति निम्नलिखित कार्य करेगी –

- संघ की नीति का प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन के लिए कदम उठाना।
- संघ के वित्तीय प्रशासन के नियंत्रण हेतु नियम बनाना।
- महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ हेतु संघ द्वारा आयोजित होने वाले परिसंवाद की व्यवस्था करना।
- शिक्षकों के हितों के लिए बुलेटिन या अन्य प्रकाशन करना।
- शिक्षक कल्याण कोष की स्थापना करना।
- संघ के संविधान में उल्लिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिएव्यावहारिक कदम उठाना।

- संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी संस्थान या व्यक्तियों से अनुदान/दान स्वीकार करना।

8. संघ के पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कार्य

1) अध्यक्ष,साधारण सभा और कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा/ करेगी ।

2) उपाध्यक्ष,अध्यक्ष के कर्तव्य निर्वहन सहयोग करेगा/करेगी एवं कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित अन्य उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा/करेगी

3) महासचिव बैठक बुलाएगा/बुलाएगी एवं अध्यक्ष की सहमति से साधारण सभा एवं कार्यकारिणी के एजेंडा तैयार करेगा/करेगी। इन बैठकों की कार्यवृत्त (मिनट्स) लिखेगा/लिखेगी साथ संघ का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा/करेगी।

4) संयुक्त सचिव महासचिव के कर्तव्य निर्वहन में सहायता करेगा/करेगी एवं कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित अन्य उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा/ करेगी, साथ ही महसचिव की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

5) कोषाध्यक्ष वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट एवं संघ का बजट तैयार करेगा/करेगी तथा कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित अन्य उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा। संघ का बैंक खाता अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष तीनों के नाम से संयुक्त रूप से होगा। संघ के खाते का संचालन इन तीनों सदस्यों में से किन्ही दो के हस्ताक्षर से होगा। जिसमें कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होंगे ।

6) कोषाध्यक्ष कोष की अविवृद्धि के लिए कार्य करेगा/करेगी।

9. चुनाव

1) संघ के पदाधिकारी संघ के समस्त सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। यदि कोई सदस्य वित्तीय अनियमितता, मारपीट या यौन शोषण की संविधि जांच के या विश्वविद्यालय के नियमानुसार ऐसी समकक्ष जांच के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसे संघ के सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा। हर उम्मीदवार को उम्मीदवारी का नामांकन करते समय "पूर्ण पारदर्शिता मानक" का पालन करना होगा। जिसमें यह बताना होगा की क्या उपरोक्त बताई गई

कोई जांच उस पर बैठाई गई? यदि हां तो वर्तमान में किस आधार पर यह पेंडिंग है या रफा दफा की जा चुकी है? इस तरह की जानकारी सभी मतदातों के बीच बांटी जाएगी। मतदान 31 मार्च के पूर्व और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होगा। इससे संबंधित समस्त नियम कार्यकारी समिति द्वारा बनाए जाएंगे, साधारण सभा द्वारा अनुमोदित होंगे तथा चुनाव अधिकारी द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे। ये सभी दो वर्ष तक कार्यालय संभालेंगे। कार्यकाल समाप्त होने वाली कार्यकारी समिति चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद नई समिति को कार्यभार सौंप देगी।

2) संघ का कोई भी पदाधिकारी उसी पद के लिए पुनः चुना जा सकता है मगर यह एक साथ दो कार्यकाल से ज्यादा नहीं हो सकता है।

3) संघ आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए कटिबद्ध है। प्रथम चुनाव को छोड़ कर आरक्षण के प्रस्ताव पर साधारण सभा में निरंतर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

10. अविश्वास प्रस्ताव

1) संघ के किसी भी पदाधिकारी को भाग 6 के धारा के अंतर्गत बुलाई गई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है|

2) साधारण सभा के बैठक में उपस्थित एवं मतदाता करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। परंतु मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या संघ के समस्त सदस्यों की संख्या संघ केसभी सदस्यों की कुल संख्या का ½ भाग से कम नहीं होनी चाहिए।

11. पदमुक्ति/पद रिक्त

1) ऊपर बताए गए पदाधिकारियों में से कोई पद- कार्यकारी समिति के सदस्य भी आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो कार्यकारी समिति द्वारा उसे शेष कार्यकाल हेतु भरा जाएगा। अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष द्वारा यह चुनाव साधारण सभा की अगली बैठक के लिए अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

2) अगर कोई पदाधिकारी बिना समुचित कारण के कार्यकारी समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो उसे अपना पद रिक्त करना होगा। वह बिना किसी पूर्वाग्रह के उसी पद पर अगले कार्यकाल के लिए योग्यता रखेगा। इसकी स्वीकृति अगली साधारण सभा के बैठक में लेनी होगी।

12 संविधान में संशोधन / संविधान की समीक्षा

1) साधारण सभा की विशेष बैठक की मांग करके संविधान में संशोधन किया जा सकेगा। संविधान में संशोधन की का प्रस्ताव या तो कार्यकारी समिति या संघ के कम से ¼ सदस्यों के समूह की लिखित मांग के आधार पर किया जा सकेगा। संविधान में होने वाले सशोधन की टंकित प्रति सभी सदस्यो को उपलब्ध करानी होगी, ताकि 15 दिन के भीतर इन संशोधनों पर अपनी टिप्पणी या सुझाव दे सकें।

2) संविधान में प्रस्तावित संशोधन के लिए कोई भी सुझाव्बैठक के 15 दिन पूर्व में दिया जाना चाहिए तभी उसे एजेंडा में शामिल किया जाएगा।

3) संविधान संशोधन बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही किया जा सकेगा। ऐसे बैठक में कोरम कुल सदस्य संख्या के 1/2 से कम नहीं होनी चाहिए।

13. कोरम/ न्यूनतम संख्या

कार्यकारी समिति की बैठक के कोरम हेतु ¼ सदस्य उपस्थित होने चाहिए। साधारण सभा की बैठक के कोरम के लिए इसके ¼ सदस्य उपस्थित होने चाहिए। संवैधानिक संशोधन या अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु GBMS में संघ सदस्यता के ½ सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

14. वर्ष

कार्यावधि प्रतिवर्ष अप्रैल से मार्च मास या म.गां.अ. हिं. वि.शि.सं. के चुनाव परिणाम से प्रारम्भ होगा। प्रत्येक कार्यकारिणी दो वर्ष की अवधि हेतु पदभार संभालेंगे।

शिक्षक संघ चुनाव प्रक्रिया

चुनावी अर्हता: जो शिक्षक पिछले दो वर्षों से शिक्षक संघ का स्थाई सदस्य हो और आम सभा की कम से कम दो बैठकों में उपस्थित रहा हो।

सदस्यता:

1. जिन शिक्षकों ने आम सभा द्वारा निर्धारित मासिक सदस्यता शुल्क (100/- प्रतिमाह) जब से जमा नहीं किया है, वे पिछले दो वर्षों का भुगतान कर सदस्य बन सकते हैं।
2. विश्वविद्यालय में स्थाई पदों पर नियुक्त नए सदस्यों जिनकी नियुक्ति हुई है वे नियुक्ति से निरंतर मासिक सदस्यता शुल्क एकमुश्त जमा कर सदस्य बन सकते हैं।

चुनाव

(i) शिक्षक संघ के पदाधिकारी संघ के समस्त सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। यदि कोई सदस्य वित्तीय अनियमितता, मारपीट या यौन शोषण की संविधि जांच के या विश्वविद्यालय के नियमानुसार ऐसी समकक्ष जांच के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसे संघ की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा। हर उम्मीदवार को उम्मीदवारी का नामांकन करते समय "पूर्ण पारदर्शिता मानक" का पालन करना होगा। जिसमें यह बताना होगा कि क्या उपरोक्त बताई गई कोई जांच उस पर बैठाई गई? यदि हां तो वर्तमान में किस आधार पर यह पेंडिंग है या रफा दफा की जा चुकी है? इस तरह की जानकारी सभी मतदाताओं के बीच बांटी जाएगी।

(ii) शिक्षक संघ चुनाव प्रतिनिधियों को राजनीतिक दलों से दूर रहना चाहिए।

(iii) चुनाव के समय ऐसा कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का नियमित शिक्षक नहीं है उसे चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह से हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति,उम्मीदवार या शिक्षक संघ का सदस्य इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। ऐसी स्थिति में चुनाव की उम्मीदवारी भी खत्म की जा सकती है।

(iv) मतदान गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होगा, एक व्यक्ति एक मत, प्रत्येक पदाधिकारी के लिए एक वैध मत होगा।

(v) सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में निर्वाचित घोषित किया जाएगा। 'टाई' के मामले में फिर से चुनाव होगा।

(vi) शिक्षक संघ का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता है जब तक वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। संघ का कोई भी पदाधिकारी उसी पद के लिए पुनः चुना जा सकता है मगर यह एक साथ दो निरंतर कार्यकाल से ज्यादा नहीं हो सकता है।

(vii) कार्यकाल समाप्त होने वाली कार्यकारी समिति चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात चयनित नई समिति को कार्यभार सौंप देगी।

(viii) चुनाव समिति द्वारा तैयार ई-मेल के माध्यम से भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकता है।

शिक्षक संघ चुनाव के नियम व प्रक्रिया

भाग 1

(i) शिक्षक संघ के नए पदाधिकारियों के लिए चुनाव पूर्व कार्यकारिणी के कार्यकाल की समाप्ति के 3 माह के अंदर हो जाना चाहिए। पूर्व कार्यकारिणी द्वारा एक माह के भीतर आम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा।

(ii) पद धारक के कार्यकाल की मध्यावधि में त्याग पत्र के मामले में इसे खाली होने के एक माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए।

भाग 2

(i) आम सभा के माध्यम से चुनाव समिति के गठन की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी। कार्यकारिणी के कार्यकाल पूर्ण होने की स्थिति में या अंतरिम चुनाव की स्थिति में कार्यकारिणी चुनाव समिति के गठन की प्रक्रिया करेगा, कार्यकाल समाप्त होने की अवधि के अधिकतम एक माह के भीतर वर्तमान कार्यकारिणी को आम सभा के माध्यम से चुनाव समिति का गठन करना होगा।

(ii) चुनाव समिति गठित होने के दिन से ही चुनाव आचार संहिता लागू मानी जायेगी ,उक्त अवधि में बिना चुनाव समिति की अनुमति के की गयी कार्यकारिणी की बैठक वैध नहीं मानी जायेगी, ऐसी बैठक होने की दशा में चुनाव समिति अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी। अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्णय को बाद में नव निर्वाचित कार्यकारिणी को आम सभा की बैठक में उसे रखना होगा। उक्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आम सभा का होगा॥

(iii) चुनाव समिति में शामिल शिक्षक प्रतिनिधि किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

(iv) आम सभा द्वारा गठित चुनाव समिति अध्यक्ष चुनाव समिति की बैठकों का आयोजन तथा कार्यों का समन्वय करेगा।

(v) एक समिति के रूप में चुनाव समिति को अपनी पहली औपचारिक बैठक के 3 माह के भीतर चुनाव करने चाहिए। 3 माह की गणना में छुट्टियों की गणना नहीं की जायेगी।

(vi) चुनाव समिति को चुनावी प्रक्रिया नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने तक केवल 10 दिनों में पूर्ण करनी होगी।

(vii) चुनाव समिति की बैठक हेतु निर्दिष्ट संख्या कुल सदस्यों का आधा हिस्सा होगा और सभी निर्णय सामान्य बहुमत से लिए जाएंगे।

(viii) चुनाव आचरण के संबंध में चुनाव समिति के पास सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे जैसे कि उम्मीदवारों को अयोग्य, योग्य ठहरना, मतदाताओं को अयोग्य ठहराना,बशर्ते उनका निर्णय 2/3 बहुमत से लिया गया हो व अपने निर्णय का कारण भी स्पष्ट करना होगा।

(ix) चुनाव समिति के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

भाग 3

चुनाव समिति नियमों और प्रक्रियाओं का पालन दायरे के भीतर रहकर ही करेगी ।

(i) सभी मतदान गुप्त तरीके से किया जाएगा।

(ii) बैलेट पेपर्स : उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में हिन्दी में होंगे, पहला नाम पहले होगा।

(iii) मतदाता चुनाव समिति द्वारा प्राप्त रबर की स्टम्प से उम्मीदवार के नाम को चिन्हित करेगा,या चुनाव समिति अन्य माध्यमों का चुनाव कर सकती है।

(iv) ई मेल द्वारा मतदान पर अंतिम निर्णय चुनाव समिति द्वारा किया जाएगा॥

(v) नामांकन :

A नामांकन निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार किए जाएंगे। उन्हें संबंधित शिक्षक उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से प्रस्तावित अर्हता के अनुरूप किया जाएगा।

B अभ्यर्थी, प्रस्तावक, या उम्मीदवार का नाम अगर सूची में दर्ज नहीं है, तो नामांकन रद्द हो जाएगा।

(vi) मतगणना :

A. मतदान समाप्ति के बाद उसी तारीख में गिनती शुरू होगी ।

B. सभी मतपत्र की गणना उम्मीदवार या उम्मीदवार द्वारा तय किए गए व्यक्ति के समक्ष होगी ।

C. अगर कोई मतपत्र समिति द्वारा उपलब्ध कराये गए स्टम्प या चुनाव समिति द्वारा निर्धारित अन्य तरीके के अलावा किसी अन्य चिन्ह से चिन्हित है तो उस मत पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

D. संबंधित उम्मीदवार मतगणना के समय ही किसी मत पर आपत्ति जता सकता है ।

E. उम्मीदवार द्वारा अधिकृत एजेंट पहली गिनती के बाद लिखित रूप में पुनर्गणना की मांग कर सकता है, बशर्ते उसकी आपत्ति चुनाव समिति ने स्वीकार की हो,यदि चुनाव समिति ने आपत्ति स्वीकार की तो पुनर्गणना तुरंत की जायेगी,ऐसा अधिकतम दो बार ही किया जा सकेगा ।

F. चुनाव परिणाम घोषणा के 48 घंटे बाद चुनाव समिति भंग हो जाएगी।

G. चुनाव समिति का कोई भी सदस्य संघ के किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता तथा ना ही किसी प्रत्याशी का प्रचार कर सकता है।

भाग 4

(i) मतदान से 24 घंटे पूर्व कोई भी उम्मीदवार या मतदाता किसी प्रकार के प्रचार प्रसार में शामिल नहीं हो सकता,इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

(ii) चुनाव प्रचार हेतु चुनाव समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना सभी उम्मीदवारों को और सभी मतदाताओं को अनिवार्य होगा,चुनाव समिति समय समय पर नए मानकों का चयन कर सकती है बशर्ते उनका निर्णय 2/3 बहुमत से लिया गया हो ।

(iii) उम्मीदवार व मतदाता को प्रचार के मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत बदनामी या किसी अन्य प्रकार की गतिविधि जैसे पोस्टर फाड़ना,गाली गलौच करना,धर्म,जाति,सम्प्रदाय,धमकाने आदि के नाम पर वोट मांगने को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर एवं उक्त के सम्बन्ध में प्रमाण मिलने पर चुनाव समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जिसमें उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने व मतदाताओं का मत निरस्त किया जा सकता है। यह निर्णय चुनाव समिति के 2/3 बहुमत के द्वारा ही लिया जा सकता है।

(iv) चुनाव में प्रति उम्मीदवार अधिकतम 5000 रूपये तक ही खर्च कर सकता है। इसकी समायोजन रिपोर्ट चुनाव परिणाम घोषित होने के 2 सप्ताह के भीतर उम्मीदवार को जमा करना होगा। शिक्षक संघ कोष का चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रमाण प्राप्त होने पर चुनाव समिति की अनुशंसा के आधार पर आम सभा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगी।

(v) कोई भी उम्मीदवार किसी भी राजनैतिक दल से चंदा या दान नहीं ले सकता,केवल स्वेच्छा के आधार पर दिए गए फंड से ही चुनाव लड़ा जा सकेगा।

(vi) कोई भी उम्मीदवार जाति,समुदाय,धर्म,क्षेत्र या भाषा या विश्वविद्यालय के किसी भी उच्च पदाधिकारी के नाम पर वोट नहीं मांगेगा।

(vii) चुनाव केवल नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर लड़ा जाएगा। किसी के निजी जीवन को सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा जाएगा।

(viii) धार्मिक जगहों का प्रयोग चुनाव में वर्जित होगा।

(ix) मुद्रित पोस्टर्स,मुद्रित पम्फ्लेट्स या अन्य मुद्रित माध्यमों का प्रयोग प्रचार के लिए निषिद्ध होगा , केवल हस्त निर्मित पोस्टर्स के प्रयोग की अनुमति होगी। सोशल मीडिया का मर्यादित इस्तेमाल किया जा सकता है।

(x) चुनाव समिति द्वारा चुनाव पूर्व निर्धारित जगहों पर ही हस्तनिर्मित पोस्टर्स लगाने की अनुमति होगी , अन्य किसी भी स्थान पर पोस्टर्स लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(xi) किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थकों द्वारा विश्वविद्यालय की संपत्ति का अपने प्रचार में उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

(xii) चुनाव के दौरान उम्मीदवार विश्वविद्यालय की संचालित कक्षाओं अन्य अकादमिक गतिविधियों या अतिरिक्त गतिविधियों को बाधित नहीं करेगा। प्रचार हेतु सार्वजनिक मीटिंग के लिए चुनाव समिति द्वारा लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

(xiii) प्रचार के उद्देश्य से लाउड स्पीकर,वाहनों और जानवरों का उपयोग वर्जित होगा।

(xiv) चुनाव के दिन शिक्षक संगठन या उम्मीदवारों के कर्तव्य

a. चुनाव कर्तव्यों पर कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों का सहयोग करेंगे ताकि मतदान में कोई बाधा न आये।
b. चुनाव के दिन कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह की उपभोग की जाने वाली वस्तु (खाने योग्य ठोस या द्रव) को वितरित नहीं करेगा। केवल पानी का वितरण किया जा सकेगा।

(xv) पोलिंग के दिन किसी भी तरह के प्रचार की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) सिवाय वोटर के किसी को भी वैध पास या चुनाव समिति के पत्र के बिना पोलिंग बूथ के अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी।

(xvii) उपर्युक्त किसी भी तरह के नियमों की अवहेलना पर चुनाव समिति की अनुशंसा पर आम सभा में अनुमोदन के उपरांत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।